न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/1/2025	2025/55	07.02.2025	11.06.2025

1– लुणाराम उर्फ देवीदयाल पुत्र स्व0 रामचन्दर जाति ओढ राजपूत निवासी ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) हाल निवासी सैक्टर 2 चौथा मिल सिरसा रोड बीड तहसील व जिला हिसार प्रान्त हरियाणा

अपीलान्टान

बनाम

2– राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

3– धन्नाराम पुत्र स्व0 रामचन्दर जाति ओढ राजपूत निवासी ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) हाल निवासी रामनगर (कसाईवाडा) ग्राम मोड मण्डी तहसील व जिला भटीण्डा प्रान्त पंजाब।

4– धन्नूराम पुत्र स्व0 रामचन्दर (मृतक)

4/1 मिदरो देवी पत्नी स्व0 धन्नूराम,

4/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 धन्नूराम,

4/3 टेकाराम पुत्र स्व0 धन्नूराम,

4/4 रोहित पुत्र स्व0 धन्नूराम,

3/5 सुमन कुमारी पुत्री स्व0 धन्नूराम,

3/6 रेखा पुत्री स्व0 धन्नूराम,

4– कंवर चन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति ओढ राजपूत निवासीगण ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास दिनाक 13.02.2006 जिसके द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की सिवायचक लगानी कब्जा काश्त की आराजी स्थित वाके ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास की आराजी खसरा न0 8/795 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा में से 05.00 बीधा आराजी का सनन पटटा संख्या आंवटन क्रंमाक 196–97 दिनाक 13.02.2006 को बाला–बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के हक में जारी किया गया है, जबकि सनद पटटे में अपीलान्ट का भी नाम दर्ज किया जाना चाहिए था।

उपस्थित–

01. श्री दिनेश सिंह यादव **–वकील अपीलान्ट**

02. श्री जगन सिंह **–वकील रेस्पोडेन्टानसंख्या 3 व 5**

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2006 जिसके द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की सिवायचक लगानी कब्जा काश्त की आराजी स्थित वाके ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास की खसरा न0 8/795 रकबा 8 बीधा 10 बिस्वा में से 05.00 बीधा आराजी का सनन पटटा संख्या आंवटन क्रंमाक 196–97 दिनाक 13.02.2006 को बाला–बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के हक में जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 8/795 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा वाके ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी सिवायचक लगानी की आराजी है। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 संयुक्तरूप से करीब 45 वर्षो से अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट मजदूरी पेशा आदमी है, तथा मजदूरी करने के लिये बाहर प्रान्त हरियाणा में रहता है, तथा अपनी आराजी को समय–समय पर बीच–बीच में सम्भालने के लिये अपने गांव चाचाका आता जाता रहत है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 4 ने उक्त आराजी को आपस में 1/4, 1/4 हिस्से में बाटा हुआ है, तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते है। विवादित आराजी पूर्व में सिवायचक लगानी की आराजी थी, जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 व 4 अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते थे, तथा अपीलान्ट ने अपने हिस्से की आराजी को काफी कीमत लगाकर उपजाउ योग्य बनाया है। विवादित आराजी पर पटटा प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनाक 13.01.2006 को आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी हल्का दिनाक 13.01.2006 को आराजी के मौके पर पहुचे, पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिससे लिखा गया है, कि आराजी खसरा न0 8/795 ग्राम चाचाका पर पहुचा आराजी में मौके पर रवि की फसल काश्त की हुई है। उक्त काश्त धन्नाराम, धन्नूराम, कंवरचन्द, लुणाराम पिसरान रामचन्दर राजपूत द्वारा की गयी है। तथा मौजूदारान ने बताया कि उक्त प्रार्थीयान पीछले 30 साल से आराजी पर काश्त कर रहे है। आराजी विवादित नही है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने दिनाक 8.02.2006 को आराजी की कीमत जमा कराने के लिये चालान फर्म भरा जो चालान फार्म अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 के संयुक्त नाम से भरा गया, तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने उक्त आराजी की सनद प्राप्त करने के लिये 3,01250 (अक्षरेन तीन लाख एक हजार दो से पचास रूपये मात्र) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा किशनगढबास में जमा करा दिये, जिस चालान फार्म में अपीलान्ट का नाम दर्ज हो रहा है। आराजी की सनद पटटा प्राप्त करने के लिये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने सयुक्त रूप से आवेदन किया तथा संयुक्त रूप से भूमि की कीमत जरिये चालान जमा करायी गयी है, किन्तु रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 चालबाज आदमी है, जिन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से साज बाज होकर सनद पटटा जारी करते समय बाला बाला केवल अपने नाम ही दर्ज करा लिया और अपीलान्ट का नाम सनद पटटे में दर्ज नही करवाया जिसका ज्ञान अपीलान्ट को नही था जो सनद पटटा रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने बाला बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिली भगत करते हुये जारी कराया है, जबकि सनद पटटा में अपीलान्ट का भी नाम होना चाहिएं था। अपीलान्ट द्वारा सनद पटटा में अपना नाम दर्ज कराने व सनद पटटा के आधार पर दर्ज हुऐ नामान्तरण व नामान्तकरण के आधार पर दर्ज हुये खातेदारी अधिकार में अपीलान्ट अपने नाम का अंकन बतौर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 को सनद पटटा में अपना नाम दर्ज करवाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने हेतु कहा तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने कहा कि हमने अपने नाम जमीन का पटटा प्राप्त कर लिया है। उक्त आराजी को दीगर व्यक्ति अथवा संस्था को रहन, बय, लिज, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल करके रहेगे। यदि रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो अपीलान्ट को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सूरत में नही आंकी जा सकेगी। गलत अंकन के बदस्तूर रहने से अपीलान्ट के हितो पर प्रभाव पडेगा, तथा अपीलान्ट को अपनी आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसके कारण अपीलान्ट आराजी के सनद पटटा व पटटे के आधार पर जारी नामान्तकरण व खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम 1/4 हिस्सेनुसार दर्ज करवाना चाहता है। तहत अदालत द्वारा पारित पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, दिनाक 13.10.2020 को अपीलान्ट उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने के लिये पटवारी हल्का के पास गया तब अपीलान्ट की जानकारी में आया कि उक्त विवादित आराजी की बाबत राजस्व रिकार्ड में उसके नाम का कोई अंकन दर्ज नही है। जिस पर दिनाक 14.10.2020 को उकत सनद पटटा व पर्चा रिपोर्ट व चालान आदि की नकल लेने के लिये आवेदन किया गया जिस पर दिनाक 16.10.2020 को अपीलान्ट को नकल प्राप्त हुयी। जिस पर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पृथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान वक्त बहस उपस्थित नही हुऐ, न ही कोई लिखित बहस पेश की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में पारित निर्णय दिनाक 13.02.2006 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 13.10.2020 को होना बताया है, एक तरफ अपीलान्ट ने कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 8/795 रकबा 08 बीधा 10 बिस्वा में से 05 बीधा वाके ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 संयुक्तरूप से करीब 45 वर्षो से अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अपीलान्ट मजदूरी पेशा आदमी है, तथा मजदूरी करने के लिये बाहर प्रान्त हरियाणा में रहता है, तथा अपनी आराजी को समय–समय पर बीच–बीच में सम्भालने के लिये गांव चाचाका आता–जाता रहता है, आराजी को आपस में 1/4, 1/4 हिस्से में बाटा हुआ है, तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते है। अपीलान्ट की इस दलील से सहमत नही की तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.02.2006 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में थी, अपीलान्ट द्वारा यह अपील जानबुझ कर करीब 15 वर्ष 6 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस वैधानिक साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया है, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 के शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वाश किये जाने योग्य नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है, उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनाक 13.02.2006 यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा– रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)